

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ़

कृष्ण उर्फ राम किशन

बनाम

स्टेट

किस्म मुकदमा : 136 LRA

प्रकरण संख्या 199/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
05.06.2026	<p>प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया।</p> <p>प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी रोही मौजा 17 एनटीआर के खाता संख्या 57/57 व 15 एनटीआर के खाता संख्या 39/37 में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम कृष्ण पुत्र धोकलराम दर्ज है। जो की सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम कृष्ण उर्फ राम किशन पुत्र धोकल राम है जो की प्रार्थी के दस्तावेजों यथा आधार कार्ड में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम कृष्ण पुत्र धोकलराम के स्थान पर कृष्ण उर्फ राम किशन पुत्र धोकल राम दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।</p> <p>तहसीलदार नोहर, भू0अभि0 निरीक्षक एवं पटवारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम कृष्ण पुत्र धोकलराम के स्थान पर कृष्ण उर्फ राम किशन पुत्र धोकल राम किया जाना उचित है की अनुशांषा की है।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम कृष्ण पुत्र धोकलराम दर्ज है एवं प्रार्थी के समस्त दस्तोवजों यथा आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम कृष्ण उर्फ राम किशन पुत्र धोकल राम दर्ज है एवं तहसीलदार द्वारा भी प्रार्थी का नाम सही करने हेतु अनुशांषा की गई है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।</p> <p>प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तहसीलदार, भू0अभि0, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 17 एनटीआर के खाता संख्या 57/57 व 15 एनटीआर के खाता संख्या 39/37 में दर्ज कृष्ण पुत्र धोकलराम के स्थान पर कृष्ण उर्फ राम किशन पुत्र धोकल राम का संशोधन किया जाता है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हों।</p>	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Rahul.